तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 46/2021 बअनवान श्रीमती कुशली बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

<u>आदेश</u>

दिनांक 19.12.2024

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार
3. **शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर ; फास्ट ट्रेकद्ध फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 20/2020 बअनवान भागीरथराम बनाम कुशली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 मार्च 2021 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थीनी स्व. श्री फूला की पत्नी थी तथा उनके देहांत के पश्चात एकमात्र प्रथम श्रेणी वारिस होने पर अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। तत्पश्चात विश्नोई समाज में प्रथा के अनुसार पति के भाई बगताराम के पल्लू बांध दिया, जिस कारण वह आगामी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 46/2021 बअनवान श्रीमती कुशली बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जीवन बगताराम की पत्नी के तौर पर व्यतीत कर रही है, जिससे. बगताराम से अपीलार्थीनी के पुत्रों व पुत्रियो का जन्म हुआ है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या एक का फूला की जमीन से कोई लेना-देना नहीं है तथा नही फूला की जमीन पर कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न होते है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलार्थीनी को परेशान व हैरान करने के उद्धेश्य से वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। अपीलार्थीनी विवादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपीलार्थीनी का कब्जा काश्त है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलार्थीनी के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलार्थीनी द्वारा जमाबंदी की नकल ली तो उस पर स्थगन का नोट लगा होना पाया, जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 22.02.2021 को नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 22.02.2021 को मिलने पर प्रथमबार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 46/2021 बअनवान श्रीमती कुशली बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 सितंबर 2020 को अपास्त किया जावे। जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने से अपीलार्थीनी को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में अपीलार्थीनी द्वारा किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है। उपलब्ध अभिलेख अद्यतन जमाबंदी संवतः 2072-2075 के मुताबिक अपीलार्थीनी विवादग्रस्त भूमि की रेकर्डेड खातेदार है। अपीलार्थीनी के पूर्व पति फूला की फौतेदगी पर भरे गये विरासतन नामांतरकरण एवं तहसीलदार फलोदी द्वारा स्वीकृत बंटवाड़ा दिनांक 26.06.1972 से अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। अपीलार्थीनी अपने कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग-उपभोग की अधिकारिणी है, इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध, एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 46/2021 बअनवान श्रीमती कुशली बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा। लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 सितंबर 2020 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करें। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	